कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी

क्रमांक / वि.सभा.उप.निर्वा. / लेखा /2020 |547 शिवपुरी दिनांक 30/ 9/2020

// निविदा आमंत्रण सूचना //

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान समय–समय पर आयोजित बैठकों एवं निर्वाचन कार्यो के लिऐ संलग्न कर्मचारियों / मतदान / मतगणना कर्मियों को भोजन / स्वल्पाहार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखेत हुये प्रपत्र " अ " दर सूची " ब " अनुसार सामग्री प्रदाय किया जाना है। जिसके लिए सील बंद निविदायें दिनांक 03.10.2020 तक कार्यालयीन समय मे निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदायें कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा की जा सकेगी। प्राप्त निविदायें अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस में 4:00 बजे गठित समिति एवं उपस्थिति निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत प्रपत्र, शर्ते आदि कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी से (अवकाश दिवस छोडकर) देखा जा सकता है तथा निर्धारित शुल्क रू0 100/– की डी.डी./चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी

पृ0क्रमांक / वि.सभा.उप.निर्वा. / लेखा /2020 |547 शिवपुरी दिनांक 30/ 9/2020

प्रतिलिपि–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओ सूचनार्थ।
2. अपर संचालक संचालन (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बांणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा निःशुल्क स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला शिवपुरी की ओर उक्त निविदा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
6. अनुविभागीय अधिकारी .... (समस्त) जिला शिवपुरी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर उक्त निविदा सूचना को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. तहसीलदार ....(समस्त) जिला शिवपुरी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ....(समस्त) जिला शिवपुरी की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी

// निविदा की शर्त //

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी को संबोधित हो।

2. निविदा के साथ धरोहर राशि 5000/– रूपये का बैंक ड्रफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के नाम से प्लेज हो। निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि जमा नही की जावेगी।

3. निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना कार्यालय द्वारा दी जायेगी एवं अस्वीकृत निविदा की सूचना नही दी जावेगी।

4. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत भोजन/स्वल्पहार सामग्री प्रदाय करने का आदेश मिलने पर नियत स्थल पर नियत समय एवं स्वयं के व्यय पर पहुँचना होगा/ स्वल्पहार सामग्री ढुलाई एवं व्यवस्था पर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

5. प्रदाय सामग्री खाद्य अधिनियम अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्यप्रद होनी चाहियें।

6. निविदा फार्म गणक निर्वाचन कार्यालय (सामान्य) कलेक्ट्रेट शिवपुरी से रूपये 100/– की डी.डी. /चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा फार्म पर ही निविदा मान्य की जावेगी।

7. यदि निविदाकार भोजन / स्वल्पहार सामग्री समय पर प्रदाय नही कर सका अथवा नियत स्थल पर उपलब्ध नही कराई गई तो बाजार से मंगाई जावेगी, इसमें स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान सामग्री लाने–ले–जाने में हुये व्यय की राशि सफल निविदाकार से उसकी अमानत राशि मे से भू–राजस्व को बकाया राशि की भांति वसूल की जावेगी।

8. निविदाकार को निविदा के साथ पेन नम्बर, सर्विस टैक्स नम्बर एवं जी.एस.टी. नम्बर की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगी।

9. निविदा के साथ फर्म का खाद्य/स्थापना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं निर्वाचन कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. भोजन एवं स्वल्पहार की सामग्री पैक स्टैण्डर्ड डिब्बे (पार्सल) में तैयार कर गंतव्य स्थान पर प्रदाय करना होगा।

11. किसी भी निविदा को बिना कारण निरस्त करने अथवा मान्य करने का अधिकारी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अविधकारी शिवपुरी को होगा। निविदा निरस्ती की सूचना देना अनिर्वार्य नही होगी।

12. पैकिगं की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी